

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 084/2023

जीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति राय सिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

— वादी

वनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादी



अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय

दिनांक :- 15.2.2024

वादी की ओर से श्री परमजीत सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 15.2.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब दावा मय पटवार हल्का गुडिया रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित भूमि चक

नम्बर 12 सी.डी.आर.के जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 233/214 के प0न0 222/267 मु0 62 के किला न0 3/0.253, 13/0.253 प0 न0 223/267 मु0न0 63 के किला न0 1/0.253 कुल 0.759 है0 में अंकित वादी का नाम हरजीत

सिंह के स्थान पर दुरुरती कर जीत सिंह किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरुरती किये जाने के आदेश दिये जाते है।



तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया

जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी / वारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
 मुख्य अधिकारी एवम्
 सहायक कलक्टर
 टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
..... रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---